प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 1720/पि0व0क0/2015–16 लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2015

विषयः–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं/छात्रों का स्थलीय सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–492/64–2–2014–1 (छात्रवृत्ति)/2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली–2014 के प्रस्तर–12(viii)ड़ एवं च में निर्देश दिये गये हैं कि '' जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हार्डकॉपी पर एवं ऑनलाइन भी प्रदान की जायेगी, जिसे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकॉपी से एवं स्थलीय जॉच अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी'' एवं ''यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करते हुए पुनः अपनायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी।''

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्धारित की गयी समय–सारिणी के अनुसार कक्षा–11 व 12 के छात्रों के डाटा को दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 तक तथा समूह–1,2,3 व 4 (कक्षा–11 व 12 को छोड़कर) के छात्रों का डाटा दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापनोपरान्त डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा को लॉक किया जायेगा।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र/छात्राओं के विवरण के सत्यापन हेतु समिति गठित कराकर तथा स्वयं भी विधिवत स्थलीय सत्यापन सुनिश्चित करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी अपात्र छात्र का आवेदन पत्र उनके डिजिटल सिग्नेचर से लॉक नहीं किया गया है तथा कोई पात्र छात्र डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये जाने से छूटा नहीं है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृ0सं0/ 1720 /पि0व0क0/2015–16 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0–2
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।